



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1942 (श10)
(सं0 पटना 223) पटना, सोमवार, 30 मार्च 2020

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 मार्च 2020

एस0 ओ0 101 दिनांक 30 मार्च 2020—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

| माह एवं वर्ष | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) | आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर | परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100) |
|--------------|---|-------------------------------------|--|
| जुलाई,2019 | 319 | 4.63 X 4.93 | 7281.46 |
| अगस्त,2019 | 320 | 4.63 X 4.93 | 7304.28 |
| सितम्बर,2019 | 322 | 4.63 X 4.93 | 7349.93 |
| अक्टूबर,2019 | 325 | 4.63 X 4.93 | 7418.41 |
| नवम्बर,2019 | 328 | 4.63 X 4.93 | 7486.89 |
| दिसम्बर,2019 | 330 | 4.63 X 4.93 | 7532.54 |
| योग :- | | | 44373.51 |

वर्ष 2019 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत - $44373.51 \div 6 = 7395.58$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम:- (1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर) / अधिसूचना संख्या-4070, 4071 दिनांक-27.09.2019

गजट संख्या-1117 दिनांक-30.09.2019

| क्र० सं० | कामगारों की कोटि | दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018+01.04.2019+01.10.2019 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में) | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2020 से प्रभावी होगी | 01.04.2020 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4) |
|----------|---------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अकुशल | 227.00+5.00+5.00+7.00+2.00+11.00+9.00 = 266.00 | 9.00 | 275.00 प्रतिदिन |
| 2. | अर्द्धकुशल | 237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00 = 277.00 | 10.00 | 287.00 प्रतिदिन |
| 3. | कुशल | 290.00+6.00+6.00+9.00+3.00+14.00+11.00 = 339.00 | 12.00 | 351.00 प्रतिदिन |
| 4. | अतिकुशल | 353.00+7.00+7.00+11.00+4.00+17.00+14.00 = 413.00 | 14.00 | 427.00 प्रतिदिन |
| 5. | पर्यवेक्षीय/लिपिकीय | 6535.00+131.00+133.00+204.00+70.00+ 312.00+261.00=7646.00 | 261.00 | 7907.00 प्रतिमाह |

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो, निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2019 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2020 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं०-5/एम०डब्लू०-402/08 श्र०सं०-1057)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
अवर सचिव।

24 मार्च 2020

एस० ओ० 102, दिनांक 30 मार्च 2020 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०-5/एम०डब्लू०-402/08 श्र०सं०-1058)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
अवर सचिव।

The 24th March 2020

S.O.101, Dated 30th March 2020— In exercise of the powers conferred by section - 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

| Month & Year | Index N0 Base Year (2001-100) | Link Factor Change for base year | Changed Index No. for base year (1960-100) |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| July,2019 | 319 | 4.63 X 4.93 | 7281.46 |
| August, 2019 | 320 | 4.63 X 4.93 | 7304.28 |
| September,2019 | 322 | 4.63 X 4.93 | 7349.93 |
| October,2019 | 325 | 4.63 X 4.93 | 7418.41 |
| November,2019 | 328 | 4.63 X 4.93 | 7486.89 |
| December,2019 | 330 | 4.63 X 4.93 | 7532.54 |
| Total | | | 44373.51 |
| Average :- | | | 44373.51 ÷ 6 = 7395.58 |

SCHEDULE -1 (B)

Name of employment - (1.) Papad Industry (2.) Sailars employment (3.) Agarbati Industry (4.) Employment of Safaies Karamcharis (Exculding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993) / Notification No.- 4070, 4071 dated.- 27.09.2019
Gazette No. -1117 dated-30.09.2019

SCHEDULE -II

| Sl. No | Categories of Workers | From Dated-01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+01.04.2018+ 01.10.2018+01.04.2019+01.10.2019 Minimum Wage Fixed (In. Rs.) | Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2020 | Total rates of wages effective from the date 01.04.2020 (Column 3+4) |
|--------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Unskilled | 227.00+5.00+5.00+7.00+2.00+11.00+9.00=266.00 | 9.00 | 275.00 Perday |
| 2 | Semi skilled | 237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00=277.00 | 10.00 | 287.00 Perday |
| 3 | Skilled | 290.00+6.00+6.00+9.00+3.00+14.00+11.00 = 339.00 | 12.00 | 351.00 Perday |
| 4 | Highly Skilled | 353.00+7.00+7.00+11.00+4.00+17.00+14.00 = 413.00 | 14.00 | 427.00 Perday |

| Sl. No | Categories of Workers | From Dated-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018+01.04.2019+01.10.2019 Minimum Wage Fixed (In. Rs.) | Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2020 | Total rates of wages effective from the date 01.04.2020 (Column 3+4) |
|--------|--------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Supervisory/ Clerical | 6535.00+131.00+133.00+204.00+70.00+312.00 +261.00=7646.00 | 261.00 | 7907.00 Permonth |

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even it the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December,2019** will be payable at the aforesaid rates from **April, 2020** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/M.W.- 402/08 L&R - 1057)

By the order of the Governor of Bihar,
MOHAN RAJAK,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 223-571+100-डी0टी0पी01
Website: <http://egazette.bih.nic.in>